बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

संख्या–3/आ01–130/2012................../श्री सुरेश प्रसाद, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर आरा के विरूद्ध राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के पत्रांक 6902 दिनांक 16.09.2016 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों यथा "जिला पदाधिकारी, भोजपुर–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना, भोजपुर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु अनुमोदित सूची को स्वेच्छानुसार बदल कर नये विद्यालयों का अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु राशि निर्गत कर बड़े पैमाने पर वितीय अनियमितता एवं गबन में संलिप्तता" के लिए निमयावली 2005 के नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री प्रसाद को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

2. निलंबिन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय पटना निर्धारित किया जाता है।

3. श्री प्रसाद को उक्त नियमावली के नियम–10 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि के मुख्यालय से देय होगा।

4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक–3/आ01--130/2012--910--/ पटना, दिनांक-17/10/16/

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक (मा0शि0)/निदेशक (प्रा0शि0)/निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)/निदेशक (जन शिक्षा)/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर आरा/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एंव 03 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ श्री सुरेश प्रसाद, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17-10-2016

(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव